International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

जनजातीय महिलाओं में शिक्षा एवं रोजगार संबंधी प्रवास : राँची जिला के संदर्भ में एक अध्ययन

संध्या कुमारी

शोधार्थी, यू.जी.सी. नेट, राँची विश्वविद्यालय, राँची

सारांश :

प्रवासन एक सामान्य मानवीय गतिविधि है| प्रवासन कई कारकों से प्रभावित होते है, जैसे- आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, धार्मिक कारक आदि| सरल शब्दों में किसी व्यक्ति या लोगों का एक स्थान से दुसरे स्थान पर जाना प्रवासन कहलाता है| शिक्षा तथा रोजगार प्रवासन के दो प्रमुख कारक है|

मानव उन्नत शिक्षा एवं रोजगार के अवसर हेतु मुख्य रूप से प्रवास करता है| किसी भी समाज के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में शिक्षा एवं रोजगार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है| जनजातीय समाज के संदर्भ में यदि शिक्षा एवं रोजगार की स्थिति का अवलोकन किया जाए तो यह प्रतीत होता है की जनजातीय समाज अन्य समाजों की अपेक्षा अभी भी काफी पीछे है| अपितु जनजातीय समाज शिक्षा एवं रोजगार में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है|

प्रस्तुत शोधपत्र में राँची जिला की जनजातीय महिलाओं में प्रवासन का अध्ययन शिक्षा एवं रोजगार के संदर्भ में किया गया है| राँची जिला में जनजातीय महिलाओं का प्रवासन मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाओं के लिए होता है| जिसमें जनजातीय महिलायें मुख्यतः दैनिक प्रवासन करती है तथा उच्च शिक्षा के लिए मासिक और वार्षिक प्रवासन करती है| प्रस्तुत शोधपत्र में उपर्युक्त पहलुओं के आधार पर जनजातीय महिलाओं में प्रवासन का अध्ययन किया गया है|

कुंजी शब्द :- जनजातीय महिला, प्रवासन, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक क्रिया |

परिचय

प्रवासन एक सामान्य मानवीय गतिविधि है| किसी व्यक्ति या लोगों का एक स्थान से दुसरे स्थान पर जाना प्रवासन कहलाता है| प्रवासन किसी देश के अन्दर या फिर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार हो सकता है। जिसे क्रमशः आंतरिक प्रवास तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास | यह अस्थायी या स्थायी हो सकता है और

विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। प्रवास के अंतर्गत दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं | जिसे अंतर्गमन और बाह्यगमन की संज्ञा दी गयी है| प्रवासन कई कारकों से प्रभावित होते है, जिसे दो भागो में रखा जाता है| जिन नकारात्मक कारकों के कारण व्यक्ति अपने निवास स्थान को छोड़ कर प्रवास करता है उसे प्रत्याकर्षण कारक कहते है| प्रवास का कर्षण कारक नकरात्मक होता है| इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कारकों को रखा जा सकता है :-

1. आर्थिक कारण – बेरोजगारी, गरीबी, कम वेतन
2. सामाजिक कारण – खराब स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा की कमी, भेदभाव
3. राजनीतिक कारण – युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, उत्पीड़न
4. पर्यावरणीय कारण – प्राकृतिक आपदाएँ, जलवायु परिवर्तन, सूखा

इसके विपरीत जिन भी सकारात्मक कारकों के कारण व्यक्ति अपने निवास स्थान को छोड़ कर दुसरे नए स्थान में प्रवास करता है उसे आकर्षण कारक कहते है| ये वे सकारात्मक परिस्थितियाँ होती हैं | जो लोगों को एक नए स्थान की ओर आकर्षित करती हैं जैसे :-

1. उत्तम रोजगार के अवसर – अधिक वेतन, अच्छी कार्य परिस्थितियाँ
2. उत्तम शिक्षा के अवसर - विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थान आदि
3. उत्तम जीवन स्तर – अच्छा घर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ
4. राजनीतिक स्थिरता – सुरक्षा, स्वतंत्रता
5. अनुकूल जलवायु – अच्छा मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियाँ

प्रवास के प्रकार

प्रवास को दूरी, अवधि और कारण के आधार पर निम्नलिखत रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है :-

दूरी के आधार पर प्रवास के रूप :-

1. आंतरिक प्रवास – किसी देश के अन्तर्गत स्थान परिवर्तन की क्रिया को आंतरिक प्रवास कहा जाता है| आतंरिक प्रवास को निम्न रूपों में रखा जाता है :-

a. ग्रामीण से नगर– नगरीकरण के फलस्वरूप उत्तम नौकरी, शिक्षा एवं सुख-सुविधा हेतु गाँव से शहरों की ओर पलायन करने की प्रक्रिया को इसमें सम्मिलित किया जाता है|
b. नगर से ग्रामीण – अत्यधिक नगरीकरण के कारण मनुष्य शांत जीवनयापन के लिए शहरों से गाँवों की ओर प्रवासित होते है|
c. ग्रामीण से ग्रामीण - इस प्रकार का प्रवास का मुख्य कारण खेती-मजदूरी, बाज़ार-हाट एवं अपेक्षाकृत अच्छी परिस्थितियों के होने के कारण होता है|

d. नगर से नगर - इस प्रकार का प्रवास का मुख्य कारण बेहतर आर्थिक अवसर, शिक्षा एवं चिकित्सा तथा जीवन की गुणवत्ता में बेहतरी के लिए होता है|

e. अंतर-क्षेत्रीय – एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण की प्रक्रिया को अंतर-क्षेत्रीय प्रवास कहा जाता है|

f. क्षेत्रीय – एक ही क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्गत होने वाले प्रवास को क्षेत्रीय प्रवास कहा जाता है|

2. अंतरराष्ट्रीय प्रवास – एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है|

1. आप्रवासन – किसी नए देश में प्रवेश करने की प्रक्रिया होती है|
2. प्रवासन – अपने मूल देश को छोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है|

अवधि के आधार पर प्रवास के रूप :-

1. स्थायी प्रवास – किसी नए स्थान पर स्थायी रूप से बस जाने की प्रक्रिया स्थायी प्रवास होती है|
2. अस्थायी प्रवास – किसी भी स्थान में सीमित समय के लिए स्थानांतरण की प्रक्रिया को अस्थायी प्रवास कहा जाता है|
3. चक्रवर्ती प्रवास – दो या अधिक स्थानों के बीच बार-बार आने जाने की प्रक्रिया को चक्रवर्ती प्रवास कहते है|

कारण के आधार पर प्रवास के रूप :-

1. आर्थिक प्रवास – किसी उत्तम एवं विशिष्ट रोजगार और आर्थिक अवसरों के लिए स्थानांतरण की प्रक्रिया को आर्थिक प्रवास कहा जाता है|
2. राजनीतिक प्रवास – किसी भी क्षेत्र में युद्ध, उत्पीड़न, राजनीतिक अस्थिरता के कारण स्थानांतरण की प्रक्रिया को राजनितिक प्रवास कहा जाता है|
3. पर्यावरणीय प्रवास - किसी भी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन, आपदाएँ, प्राकृतिक क्षति आदि के कारण प्रवास होने वाले प्रवास को पर्यावरणीय प्रवास कहते है|
4. बलपूर्वक प्रवास - किसी एक स्थान से दुसरे स्थान में शरणार्थी, मानव तस्करी आदि द्वारा मानव के प्रवास को बलपूर्वक प्रवास कहा जाता है|
5. स्वैच्छिक प्रवास - इस प्रकार के प्रवास में मानव अपनी इच्छा से बेहतर अवसरों के लिए प्रवास करते हैं|

राँची जिला जनजातीय प्रवास का एक प्रमुख केंद्र है। झारखण्ड राज्य के गठन होने के बाद राज्य की राजधानी के रूप में राँची जिला को चुना गया | रांची, जहां मुख्य रूप से मुंडा, उरांव, और हो जनजातियाँ निवास करती हैं, हाल के दशकों में तेजी से प्रवासन का गवाह बना है। यह प्रवासन ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी

क्षेत्रों की ओर अधिक केंद्रित है| जो मुख्य रूप से रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन सुविधाओं की विशाल उपलब्धता के कारण होता है।

अध्ययन क्षेत्र :- झारखण्ड राज्य का निर्माण 2000 में बिहार राज्य से अलग होकर हुआ, इसके बाद ही राँची जिले को इसकी राजधानी घोषित की गई | राँची जिला का अस्तित्व सर्वप्रथम 1899 में आया था, जब लोहरदगा को अनुमंडल बनाकर राँची को जिला बनाया गया था| इसका भौगोलिक विस्तार 25° 52′ से 23° 84′ उत्तरी अक्षांश तथा 84° 45′ से 85° 50′ पूर्वी देशांतर है| इसका कुल क्षेत्रफल 5087 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 651 मीटर है| यह छोटानागपुर पठार के दक्षिण भाग में स्थित है, जो राँची-हजारीबाग पठार के अन्तर्गत आता है| यहाँ की जलवायु आद्र-उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की है|

2011 की जनगणना अनुसार राँची जिला की कुल जनसंख्या 2914253 है| जिले की कुल जनजातीय जनसंख्या 1042016 है| जिसमे जनजातीय पुरुष 520582 और जनजातीय महिला 521434 है| 572 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर राँची जिला को राज्य की घनी आबादी क्षेत्र में सातवां स्थान प्राप्त है| राँची जिले में 2 अनुमंडल और कुल 18 प्रखण्ड है, जिसमें 14 प्रखण्ड राँची अनुमंडल और 4 प्रखण्ड बुंडू अनुमंडल के अन्तर्गत आते है| यहाँ नगरीय केंद्रों की संख्या 15 है|

विधितंत्र :- राँची जिला के जनजातीय महिलाओं में शिक्षा एवं रोजगार संबंधी प्रवास से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण द्वितीयक आंकड़ों के प्रयोग से किया गया है| आंकड़ों की गणना कर तालिकाओं एवं आरेखों का निर्माण किया गया है|

जनजातीय महिलाओं में प्रवास :- जनजातीय महिलाओं का रांची की ओर प्रवासन आर्थिक आकांक्षाओं, शैक्षिक अवसरों और सामाजिक गतिशीलता से प्रेरित होता है। कुछ जनजातीय महिलाएँ बेहतर भविष्य की तलाश में स्वेच्छा से प्रवास करती हैं, जबकि अन्य विवाह, गरीबी, संसाधनों की कमी और कृषि के अवसरों में गिरावट के कारण प्रवास करने के लिए मजबूर होती हैं। हालांकि, इस प्रवासन के साथ कई चुनौतियाँ जुड़ी होती हैं, जिनमें रोजगार की अस्थिरता, सुरक्षा चिंताएँ और सामाजिक-सांस्कृतिक अनुकूलन की समस्याएँ शामिल हैं। जनजातीय महिलाओं का एक महत्वपूर्ण भाग बेहतर रोजगार और शिक्षा के लिए गाँव से शहरी क्षेत्रों में प्रवास करता है। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिकूल परिस्थितियां जहाँ शिक्षा और रोजगार के सीमित साधन और अवसर होते है| जो प्रवासन के प्रत्याकर्षण कारक की स्थिति उत्पन्न करती है और इसके कारण जनजातीय महिलाएं शहर की और आकर्षित होती हैं | जहाँ उनको बेहतर शिक्षा के अवसर और रोजगार के अवसर प्राप्त होते है| अतः यह कहा जा सकता है की राँची जिले में प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक कारक और सामाजिक कारक महत्वपूर्ण है|

अवस्थिति मानचित्र

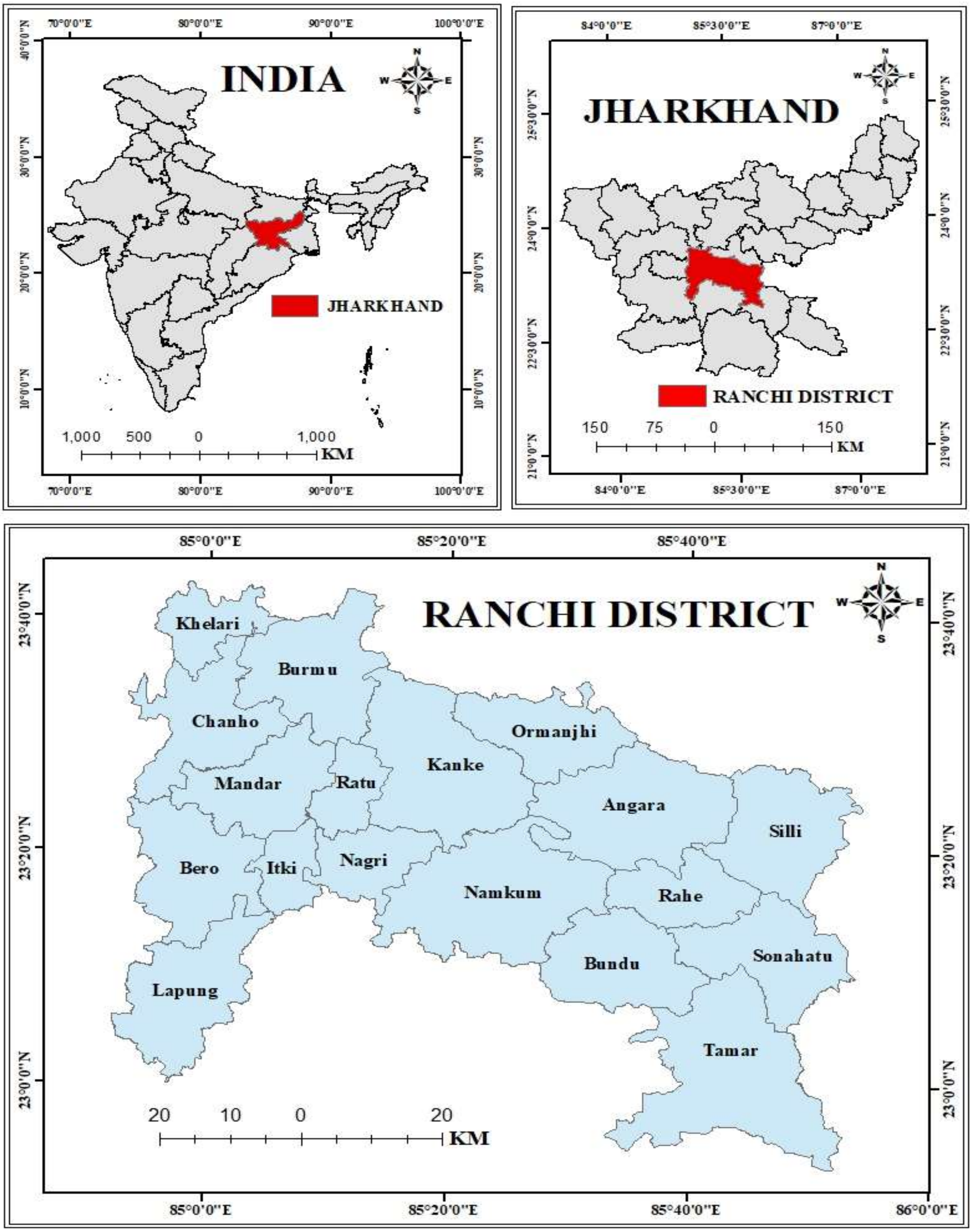

राँची जिले में निवास अवधि एवं के आधार पर जनजातीय महिलाओं में शिक्षा एवं रोजगार संबंधी प्रवास :- राँची एक जिला होने के साथ-साथ झारखण्ड की राजधानी भी है| जिस कारण यहां रोजगार की असीम संभावनाए भी है तथा शिक्षा से जुड़ी सभी सुविधा और अवसर यहाँ विद्यमान है| 2011 में निवास अवधि

के अनुसार जनजातीय महिलाओं की कुल प्रवास संख्या 404458 है| 10 वर्ष या अधिक निवास अवधि में सर्वाधिक प्रवास हुआ है| इस श्रेणी में लगभग 22214 जनजातीय महिलाओं का प्रवास हुआ है| इसके बाद क्रमशः 1-4 वर्ष में 9181, 5-9 वर्ष में 7388 तथा सबसे निम्न 1 वर्ष से कम में लगभग 1675 जनजातीय महिलाओं का प्रवास हुआ है| जनजातीय महिलाओं का कुल ग्रामीण प्रवास 25854 और कुल नगरीय प्रवास 12882 अंकित किया गया है| राँची जिले में निवास अवधि के आधार पर जनजातीय महिलाओं के प्रवास को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले कारक को निम्न बिन्दुओं के द्वारा समझा जा सकता है :-

1. रोजगार के अवसर :- राँची जिला के शहरी क्षेत्रों में सरकारी, अर्धसरकारी, सेवा क्षेत्र, घरेलू काम, निर्माण, वस्त्र उद्योग और सरकारी योजनाओं आदि में रोजगार उपलब्ध है।
2. शिक्षा के अवसर **:-** राँची शहर शिक्षा की दृष्टि से काफी संपन्न है| यहां उच्च शिक्षा से लेकर प्राथमिक शिक्षा के अनेक केंद्र स्थापित है| विभिन्न सरकारी एवं निजी कॉलेज, स्कूल, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित विभिन्न कोचिंग इंस्टिट्यूट आदि | सरकारी छात्रवृत्तियाँ और आरक्षण नीतियाँ जनजातीय महिला समाज को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जिससे विभिन्न विश्वविद्यालयों में इनकी नामांकन में बढ़ोतरी है।

तालिका संख्या 1

राँची जिला : निवास अवधि एवं पूर्व निवास स्थल के अनुसार जनजातीय महिलाओं का नगरीय प्रवास प्रतिशत 2011

क्र.स.	निवास अवधि	कुल प्रवासी जनजातीय महिला जनसंख्या	पूर्व निवास-स्थल (ग्रामीण/नगरीय) के अनुसार कुल प्रवासी जनजातीय महिला			प्रतिशत		
			ग्रामीण	नगरीय	असुनिश्चित	ग्रामीण	नगरीय	असुनिश्चित
1.	1 वर्ष से कम	1675	1092	506	77	65.19	30.38	4.59
2.	1-4 वर्ष	9181	5673	3096	412	61.79	33.72	4.48
3.	5-9 वर्ष	7388	4690	2368	330	63.48	32.05	4.46
4.	10 वर्ष या अधिक	22214	14399	6912	903	64.81	31.11	4.06

कुल		**40458**	**25854**	**12882**	**1722**	63.90	31.84	4.25

स्त्रोत: माइग्रेंटस् बाई प्लेस एंड रीज़न ऑफ़ माइग्रेशन पॉपुल्यूशेन सेंसस, झारखण्ड -2011

आरेख संख्या 1

राँची जिला : निवास अवधि एवं पूर्व निवास स्थल के अनुसार जनजातीय महिलाओं का नगरीय प्रवास प्रतिशत 2011

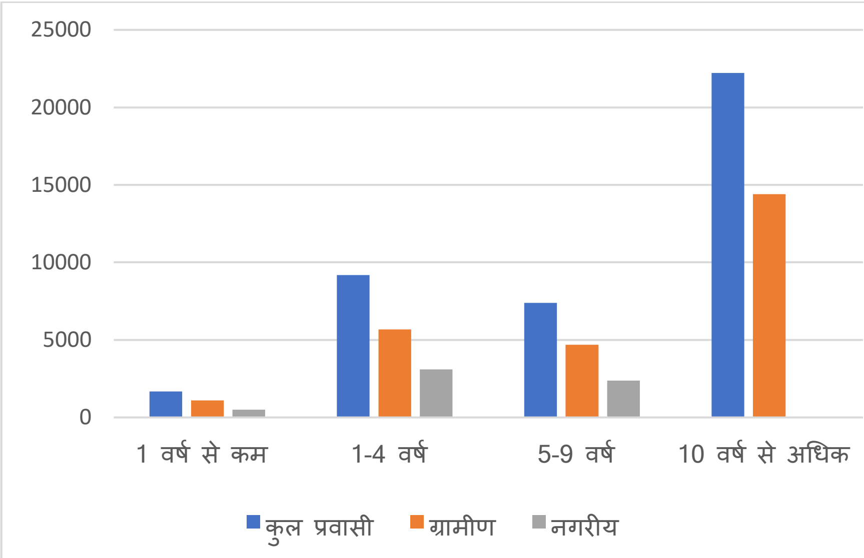

स्त्रोत: माइग्रेंटस् बाई प्लेस एंड रीज़न ऑफ़ माइग्रेशन पॉपुल्यूशेन सेंसस, झारखण्ड -2011

तालिका 2

राँची जिला : जनजातीय महिलाओं में शिक्षा एवं रोजगार संबंधी प्रवास 2011

क्र.स.	निवास अवधि	प्रवास के कारण			प्रतिशत		
		कुल	रोजगार	शिक्षा	कुल	रोजगार	शिक्षा
1.	1 वर्ष से कम	**456**	**245**	**211**	**7.49**	**53.72**	**46.27**
2.	1-4 वर्ष	**2354**	**988**	**1366**	**38.69**	**41.97**	**58.02**
3.	5-9 वर्ष	**1144**	**692**	**452**	**18.80**	**60.48**	**39.51**

4.	10 वर्ष या अधिक	**2129**	**1867**	**262**	**34.99**	**87.63**	**12.30**
कुल		**6083**	**3792**	**2291**	**99.9**	**62.33**	**37.66**

स्त्रोत: माइग्रेंटस् बाई प्लेस एंड रीज़न ऑफ़ माइग्रेशन पॉपुल्यूशेन सेंसस, झारखण्ड -2011

आरेख 2

राँची जिला : जनजातीय महिलाओं में शिक्षा एवं रोजगार संबंधी प्रवास 2011

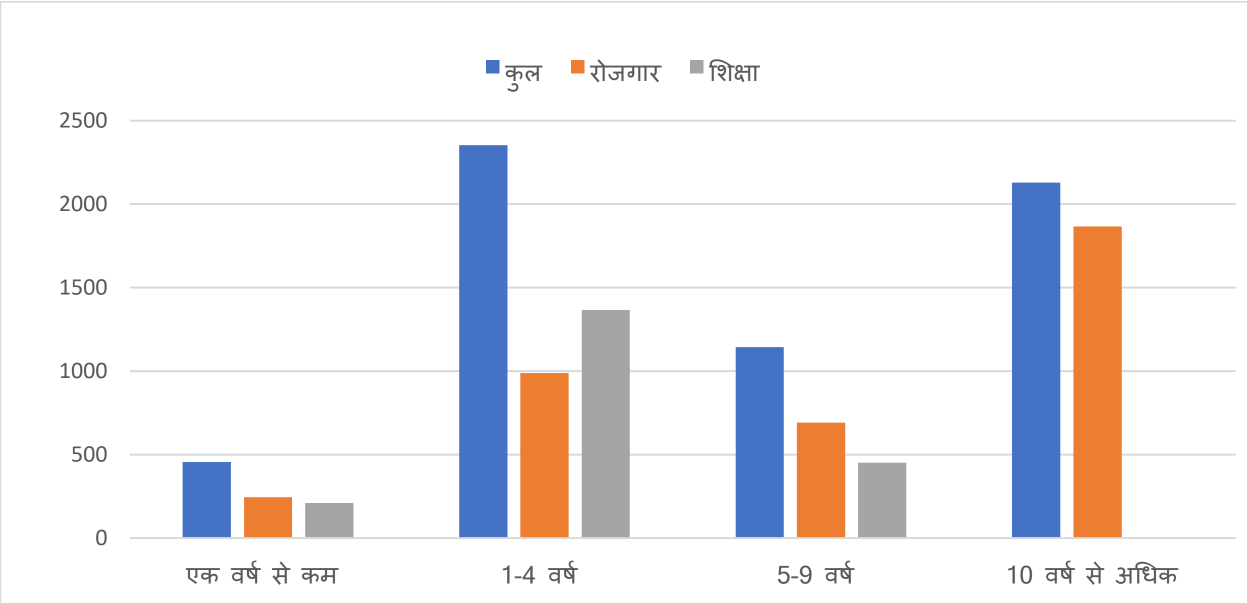

स्त्रोत: माइग्रेंटस् बाई प्लेस एंड रीज़न ऑफ़ माइग्रेशन पॉपुल्यूशेन सेंसस, झारखण्ड -2011

ग्रामीण रोजगार तथा शिक्षा के स्रोत में कमी के कारण :- ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं रोजागर की खोज में शहरों के और आकर्षित होती है| साथ ही बेहतर शिक्षा की प्राप्ति के लिए जनजातीय महिलाओं का प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर होता है| वनों की कटाई, खनन परियोजनाओं के कारण भूमि विस्थापन और कृषि में मशीनीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक रोजगार के अवसरों को कम कर दिया है। एनजीओ, सामुदायिक रेडियो कार्यक्रमों और सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकारों और अवसरों के बारे में बढ़ती जागरूकता ने प्रवासन को बढ़ावा दिया है। **झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण (2022)** के अनुसार, लगभग 60% आदिवासी परिवार आजीविका के लिए निर्वाह कृषि पर निर्भर हैं, जिससे प्रवासन एक आवश्यक रणनीति बन गया है। जो महिलाएँ शिक्षा या रोजगार के लिए

प्रवास करती हैं, वे अक्सर अपनी समुदायों में दूसरों को शहरी अवसरों की तलाश करने के लिए प्रेरित करती हैं

प्रवासी जनजातीय महिलाओं की समस्याएं एवं चुनौतियाँ

1. आर्थिक समस्या - राँची जिला की प्रवासित जनजातीय महिलाओं की अधिकतर जनसंख्या मुख्य रूप से कम वेतन वाले, अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यों में संलग्न होती हैं, जहाँ नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा वेतन भी अपेक्षाकृत कम दिया जाता है| अध्ययन के अनुसार, प्रवासी जनजातीय महिला श्रमिकों की औसत मासिक आय लगभग ₹6,000–₹8,000 होती है। शहरी क्षेत्रों में जीवनयापन की उच्च लागत आर्थिक बोझ बढ़ाती है, जिससे कई महिलाओं को एक से अधिक नौकरियाँ करनी पड़ती हैं।
2. सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ **:-** सांस्कृतिक अस्थिरता जनजातीय महिलाओं के लिए शहरी जीवन शैली में समायोजन को कठिन बना देती है। भाषाई बाधाएँ कार्यस्थल में एकीकरण को बाधित कर सकती हैं, क्योंकि कई आदिवासी भाषाएँ हिंदी या अंग्रेजी से काफी अलग होती हैं। आदिवासी समुदायों के प्रति भेदभाव और रूढ़ियाँ रोजगार और शैक्षिक अवसरों को प्रभावित करती हैं।
3. शोषण और सुरक्षा **:-** जनजातीय महिलाओं को शोषण, मानव तस्करी और कार्यस्थल पर उत्पीड़न की संभावना अधिक होती है। झारखंड महिला आयोग ने पिछले पाँच वर्षों में रांची में घरेलू कामगार महिलाओं के खिलाफ कार्यस्थल उत्पीड़न के 1,500 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। विशेष रूप से घरेलू कामगारों को लंबे कार्य घंटे और बिना वेतन की स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिनके लिए कानूनी सहारा सीमित है।
4. अधिवास :- कई प्रवासी जनजातीय महिलाएँ झुग्गी बस्तियों में रहती हैं, जहाँ स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है की रांची में लगभग 70% जनजातीय महिला प्रवासी झुग्गी क्षेत्रों में रहती हैं, जहाँ पीने के पानी और स्वच्छता की उचित सुविधाएँ नहीं हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत शोध अध्ययन से यह ज्ञात होता है की राँची जिला की जनजातीय महिलाओं का सर्वाधिक प्रवास रोजगार संबंधी हुआ है | जिसमें अधिकांश जनजातीय महिलाएं निम्न स्तर के रोजगार के लिए ही प्रवासित होते है | अशिक्षा और रोजगार संबंधी जागरूकता में कमी के कारण इनका शोषण भी अधिक होता है | क्योंकि ये प्रायः जिन कार्यों के कारण प्रवास करते है, उन कार्यों के लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है और इन महिलाओं का आर्थिक स्तर तथा जीवनयापन का तरीका भी निम्न स्तर का होता है | इसके विपरीत देखा जाए तो जनजातीय महिलाओं में शिक्षा के कारण भी प्रवास हो रहा है, जो इनके

सामाजिक जीवन में विकास की दशा के परिचायक है| धीरे-धीरे ही सही किन्तु जनजातीय महिलाओं के शिक्षा में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है |

रोजगार संबंधी प्रवास के लिए सरकार को विशेष नियम का निर्माण करना होगा | जो इनकी संख्या, रोजगार की प्रकृति आदि पर सख्त निगरानी रख सके और इनसे संबंधित हर एक समस्याओं का हल एक ही स्थान में तुरंत हो सके | राज्य के अंदर ही नए रोजगार का सृजन करना होगा | जिससे लोग कम मात्रा में प्रवास करे | जो भी छात्र शिक्षा के लिए दुसरे क्षेत्र में प्रवासित है, उनपर भी हर प्रकार सरकारी निगरानी रखना चाहिए | इनके विकास के लिए और भी दुसरे प्रभावी नीति, कार्यक्रम आदि का निर्माण करना काफी आवश्यक है |

संदर्भ सूची

1. अहमद. जि. (1959) : "*बिहार के आदिवासी*", पटना यूनिवर्सिटी, पटना 71-77
2. मौर्य, एस.डी. (2005) : "*सामाजिक भूगोल*" शारदा पुस्तक भवन, इलाहबाद 396-397
3. वर्मा, यू.के. (2009) : "*झारखण्ड का जनजातीय समाज*" सुबोध ग्रंथमाला, राँची, 62-69
4. शर्मा, बि.सी. और बिक्रम, कीर्ति (2006) : "*झारखण्ड की जनजातियाँ*" क्राउन पब्लिकेशन, राँची, i-xxvi
5. भारत की जनगणना, डिस्ट्रिक्ट सेंसस हैंडबुक, झारखण्ड सीरीज 21, 2011